

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 134/ 2026

सद्वाम

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 8 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – लालजी यादव, विष्णु प्रकाश

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लालजी यादव, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 और 3 को ग्राम शिवरा, परगना एवं तहसील- सदर, जिला- प्रतापगढ़ में स्थित गाटा संख्या 327, जो राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में दर्ज है, पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उप-जिलाधिकारी सदर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि राजस्व अधिकारियों की एक टीम ने नायब तहसीलदार के पर्यवेक्षण में पुलिस बल के साथ निरीक्षण करने हेतु स्थल का दौरा किया था, जिसमें यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं गाटा संख्या 353 के चकमार्ग के एक भाग पर गेहूं बोया है और उसने आश्वासन दिया है कि वह कथित अतिक्रमण हटा देगा। निर्देशों की एक प्रति अभिलेख पर ग्रहण की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने मिथ्या अभिवचनों के साथ रिट याचिका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दायर की है। याचिकाकर्ता स्वयं सार्वजनिक भूमि गाटा संख्या 327 पर अतिक्रमण करते हुए पाया गया है, जो राजस्व अभिलेखों में एक चकमार्ग के रूप में दर्ज है।

5. तदनुसार, याचिका को विपक्षी संख्या 3 और 4 को ग्राम शिवरा, परगना एवं तहसील सदर, जनपद प्रतापगढ़ में स्थित भूमि गाटा संख्या 327, जो राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में दर्ज है, पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है, भले ही वह अतिक्रमण स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा ही क्यों न किया गया हो।

10 मार्च, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)